राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः–एफ 9/सहायता/2021/130 दिनांकः–12/04/2021

## प्रशासनिक स्वीकृति

बारां जिले में वित्तीय वर्ष 2020–21 में हुई अतिवृष्टि/बाढ/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन के क्रम में शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(18)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/ 20/135–41 दिनांक 05.01.2021 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम एवं खण्ड तृतीय बारां को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति जारी कर भिजवाऐ ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकें। बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02–बाढ, चक्रवात आदि, 122–खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्या की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना, 02–बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता, 01– (बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता), 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नाकित मरम्मत कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(अ) ब्लॉक– बारां, कार्यकारी एजेन्सी– अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां

| क्र.सं. | क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य | प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में |
|---|---|---|
| 1 | Parwati main canal between Km.8 to 25 on both side banks **(34 Km.)** | 20.40 |
| 2 | Parwati main canal between Km. 29 to 41 on both side banks **(24 Km.)** | 14.40 |
| 3 | Parwati main canal between Km. 50 to 58 on both side banks **(16 Km.)** | 9.60 |
| 4 | Rajawah branch between Km. 2 to 11 on both side banks **(18 Km.)** | 10.80 |
| 5 | Piliya distributory between Km. 0 to 5 on both side banks **(10 Km.)** | 6.00 |
| | **Total** | **61.20** |

(ब) ब्लॉक– किशनगंज, कार्यकारी एजेन्सी– अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

| क्र.सं. | क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य | प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में |
|---|---|---|
| 1 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना की माईनर्स 1 से 3 की मरम्मत का कार्य (on both side bank 16.08 Km.) | 9.65 |
| 2 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 0 से 181 के मध्य मरम्मत का कार्य (on both side bank 11.00 Km.) | 6.62 |
| 3 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 0 से 181 के मध्य स्थिति माइनरो की मरम्मत का कार्य ( on both side bank 22.25 Km.) | 13.35 |
| 4 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 181 से 317 के मध्य मरम्मत का कार्य (on both side bank 8.29 Km.) | 4.97 |
| 5 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 181 से 317 के मध्य स्थिति माइनरो की मरम्मत का कार्य (on both side bank 10.51 Km.) | 6.30 |
| 6 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 317 से 495 के मध्य मरम्मत का कार्य (on both side bank 10.85 Km.) | 6.51 |
| 7 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 317 से 495 के मध्य स्थिति माइनरो की मरम्मत का कार्य ( on both side bank 31.39 Km.) | 18.83 |
| 8 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना की बरूनी लिंक नहर की मरम्मत का कार्य (on both side +bank 10.97 Km.) | 6.58 |
| 9 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त इकलेरा सागर मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 10 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त कालीसोत तालाब की बांध एवं नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 11 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त छत्रपुरा तालाब एवं नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 12 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त महोदरी तालाब एवं नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 13 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त नाहरगढ़ तालाब एवं नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 14 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त अहमदी तालाब की बांयी मुख्य नहर की सर्विस रोड़ की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| | **Total** | **81.81** |

(स) ब्लॉक– शाहबाद, कार्यकारी एजेन्सी– अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

| क्र.सं. | क्षतिग्रस्त नहरों / तालाबों की मरम्मत कार्य | प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में |
|---|---|---|
| 1 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त रातई मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 2 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त नारायणखेडा नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 3 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त सेमली फाटक नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| 4 | बाढ़ से क्षतिग्रस्त खटका तालाब की नहरो की मरम्मत का कार्य | 1.50 |
| | **Total** | **6.00** |

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :–

1. कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम / खण्ड तृतीय बारां, होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, जल संसाधन विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. इसके तहत प्रारम्भ कार्य 30 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा।
3. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 15 मार्च 2021 के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. डिफेक्ट लाईबिलिटि अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावें।
5. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावें कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
6. यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित नहरों / तालाबों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
7. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
8. कार्यो का निष्पादन वितीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
9. एनडीआरएफ / एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों एवं नौर्म्स की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
10. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
11. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
12. ''कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है'' इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

जिला कलक्टर
(सहायता) बारां

क्रमांकः–एफ 9 / सहायता / 2021 / 130

दिनांकः–12/01/ 2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
1 मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त बारां को उक्त कार्यो की अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु ।
3 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम एवं खण्ड तृतीय बारां।
4 सहायक अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बारां / किशनगंज / शाहबाद।
4 कोषाधिकारी, बारां।
5 प्रभारी अधिकारी, लेखा / केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

जिला कलक्टर
(सहायता) बारां